22-04-2025 पत्रावली पेश हुयी। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना दिनांक 17.03.2021 का जवाब पेश किया। नकल अप्रार्थी अधिवक्ता को दिलायी गयी। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यो का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि जो सीमाज्ञान की कार्यवाही की गयी है, वो बाला–बाला की गयी है, जिस पर अप्रार्थीगण के किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नही है, ना ही किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर है। पटवार हल्का द्वारा जो सीमाज्ञान किया गया है वो गलत तरीके से तैयार किया गया है। अतः सीमाज्ञान दिनांक 01.05.2018 खारीज फरमाया जावे। बहस वकील उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2071–2074 राजस्व ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 512/2 रकबा 1.00 हैक्ट0 प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रा0 पत्र 271/2018

निर्णय दिनांक

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि **राजस्व ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नं. 512/2 रकबा 1.00 हैक्ट0 की प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर दोनो पक्षो की उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें।** तहसीलदार नीमकाथाना को इस हे[illegible] बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो [illegible]

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.09 13:39:25 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अ[illegible]री
नीमकाथाना [illegible]